रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1987/चैत्र 11, 1909

No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1987/CHAITRA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 362 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधिक जमा (संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर सावधिक जमा नियम, 1981 में, नियम 7 में, सारणी छ और उसके नीचे टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सारणी छ

(10 मई, 1985 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 1987 से पहले किए गए जमा के लिए)

जमा की अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	$9^1/_2$ प्रतिशत
2 वर्ष	10 प्रतिशत
3 वर्ष	$10^1/_2$ प्रतिशत
5 वर्ष	$11^1/_2$ प्रतिशत

सारणी ज

(1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् किए गए जमा के लिए)

जमा की अवधि	प्रति वर्ष ब्याज की दर
1 वर्ष	$9^1/_2$ प्रतिशत
2 वर्ष	10 प्रतिशत
3 वर्ष	$10^1/_2$ प्रतिशत
5 वर्ष	11 प्रतिशत

टिप्पण :—1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् किए गए जमाओं के लिए ब्याज, यथास्थिति, सारणी ग या सारणी घ या सारणी ङ या सारणी च या सारणी छ या सारणी ज में विनिर्दिष्ट दर पर अर्धवार्षिक अंतराल पर संगणित की जाएगी ।"

[फा. सं. 2/5/87-एन एस.]

टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. 664 (अ), तारीख 17-12-81 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा. का. नि. 300 (अ), तारीख 1-4-82, सा० का. नि. 257 (अ), तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 418 (अ), तारीख 10-5-85 तथा सा. का. नि. 193 (अ), तारीख 12-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 362(E).–In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Time Deposit Rules, 1981, in rule 7, for Table G and the Note thereunder, the following Tables and Note shall be substituted, namely:–

"TABLE G

(For deposits made on or after the 10th May, 1985 but before the 1st April, 1987)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9 $^1/_2$ per cent
2 Years	10 per cent
3 Years	10 $^1/_2$ per cent
5 Years	11 $^1/_2$ per cent

TABLE H

(For deposits made on or after the 1st April, 1987)

Period of deposit	Rate of interest per annum
1 Year	9 $^1/_2$ per cent
2 Years	10 per cent
3 Years	10 $^1/_2$ per cent
5 Years	11 per cent

Note : For deposits made on or after the 1st October 1979, interest will be payable at the rates specified in Table C or Table D or Table E or Table F or Table G or Table H, as the case may be, calculated at half yearly interest.".

[F.No. 2/5/87-NS]

Note:-The principal rules were published vide G.S.R 664(E), dated 17-12-1981 and amended vide G.S.R. 300(E), dated 1-4-1982, G.S.R. 257(E), dated 11-3-1983, G.S.R. 418(E), dated 10-5-1985 and G.S.R193(E) ,dated 12-2-1986.

अधिसूचना

सा० का नि० 363(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर आवर्ती जमा नियम, 1981 के नियम 8 में, दोनों अनुसूचियों में अंतिम मद, अर्थात् :—

"1-3-1983 से आगे 807 60" के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1-3-83 से 31-3-87—807.60

1-4-87 से आगे 797.10 ।"

[फा. सं. 2/4/87-एन. एस.]

टिप्पणी :—मूल नियम, सा. का. नि. 668 (अ), तारीख 17-12-81 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् संशोधन सा. का. नि. 301 (अ), तारीख 1-4-1982, सा. का. नि. 258 (अ), तारीख 11-3-1983 सा. का. नि. 62 (अ), तारीख 14-2-1984 और सा. का. नि. 95 (अ), तारीख 7-2-86 द्वारा जारी किए गए थे ।

NOTIFICATION

G.S.R 363(E):-In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 namely:–

1. (1) These rules may be called the Post Office Recurring Deposit (Amendment) Rule, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Recurring Deposit Rules, 1981 in rule 9, in both the Schedules for the last item namely: –

"1-3-1983 onwards-807.60", the following items shall be substituted, namely:-

"From 1-3-1983 to 31-3-87– 807.60
From 1-4-87 onwards 797.10".

Note: The principal rules were published vide GSR No. 666(E) dated 17-12-1981. Subsequent amendments were issued vide GSR No. 301(E) dated 1-4-1982, GSR No. 258(E) dated 11-3-1983, GSR No. 62(E) dated 14-2-1984 and GSR No. 95(E) dated 7-2-1986.

[F. No. 2/4/87-NS]

सा. का. नि. 364 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (6 निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (6 निर्गम) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (6 निर्गम) नियम, 1981 नियम 19 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई पत्र 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् खरीदा जाता है तो उसकी परिपक्वता की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् ब्याज सहित रकम किसी भी समय पत्र के भुनाने पर 100 रुपए के अंकित मूल्य के लिए 190.10 रुपए होंगे और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर पर होगा । नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्त में पत्र के धारक या धारकों को प्रोद्भूत होगा और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज पांचवें वर्ष के अन्त तक धारक की ओर से पुनः पुनर्विनिहित किया गया समझा जाएगा और पत्र के अंकित मूल्य की रकम में संकलित किया जाएगा :

सारणी

वह वर्ष जिसके लिए ब्याज प्रोद्भूत होगा	100 रुपए के अंकित मूल्य के पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम रुपए
पहले वर्ष	11.30
दूसरे वर्ष	12.60
तीसरे वर्ष	11.00
चौथे वर्ष	15.60
पांचवें वर्ष	17.30
छठे वर्ष	19.30

टिप्पण :—किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम ऊपर की सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी ।

टिप्पण :—मूल नियम सा. का. नि. 309 (अ) तारीख 24-4-81 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा. का. नि. 751 (अ) तारीख 10-12-82, सा. का. नि. 259 (अ) तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 797 (अ) तारीख 24-10-83, सा. का. नि. 715 (अ) तारीख 4-9-1985 और सा. का. नि. 195 (अ) तारीख 12-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था ।

[फा. सं. 3/15/87—एन. एस.]

G.S.R. 364(E). —In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VI Issue) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publiation in the Official Gazette.

2. Rule 19 of the National Savings Certificates (VI Issue) Rules, 1981 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely : —

"(2) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of April, 1987 the amount, inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs. 190.10 for denomnation of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomiaation. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fifth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest accruing on certificate of Rs. 100 denomination Rupees
First year	11.30
Second year	12.60
Third year	14.00
Fourth year	15.60
Fifth year	17.30
Sixth year	19.30

Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.

Note : The principal rules were issued vide G.S.R. 309(E) dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 751(E) dated 10-12-82, G.S.R. 259(E) dated 11-3-83, G.S.R. 797(E) dated 24-10-83, G.S.R. 715(E) dated 4-9-1985 and G.S.R. 195(E) dated 12-2-1986.

[F. No. 3/15/87-NS]

सा. का. नि. 365 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) संशोधन नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (7 निर्गम) नियम 1981 के नियम 19 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी भी अंकित मूल्य का कोई पत्र 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् खरीदा गया है वहां ऐसे पत्र पर ब्याज, पत्र की तारीख से प्रत्येक छह मास के अंत में संदेय होगा, किन्तु उस परिपक्वता कालावधि के परे नहीं जिसके लिए पत्र धारित है । ऐसा ब्याज पत्र के अंकित मूल्य के 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संगणित किया जाएगा ।

टिप्पण :—मूल्य नियम सा. का. नि. 310 (अ) तारीख 24-4-81 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका सा. का. नि. 752 (अ) तारीख 10-12-82, सा. का. नि. 260 (अ) तारीख 11-3-83 सा. का. नि. 798 (अ) तारीख 24-10-83, सा. का. नि. 716 (अ) तारीख 4-9-85, सा. का. नि. सं. 85 (अ) तारीख 3-2-86 और सा. का. नि. 196 (अ) तारीख 12-2-86 द्वारा संशोधन किया गया था ।

[फा. सं. 3/16/87—एस. एस.]

G.S.R. 365(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VII Issue) Amendment Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (VII Issue) Rules, 1981, in rule 19, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(3) where a certificate of any denomination has been purchased on or after the 1st day of April, 1987, the interest on such certificate shall be payable at the end of every six months from the date of the certificate but not beyond the maturity period for which the certificate is held. Such interest shall be calculated at the rate of 11 per cent per annum of the face value of the certificate".

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 310(E), dated 24-4-81 and amended vide G.S.R. 752 (E) dated 10-12-82, G.S.R. 260(E) dated 11-3-83, G.S.R. 798(E) dated 24-10-83 and G.S.R. 716(E) dated 4-9-85, G.S.R. No. 85(E) dated 3-2-86 and G.S.R. 196(E) dated 12-2-86.

[F. No. 3/16/87-NS]

सा. का. नि. 366 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंदिरा विकास पत्र नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा विकास पत्र (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. इंदिरा विकास पत्र नियम, 1986 के नियम 8 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् किन्तु परन्तुक से पहले निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) जहां 1 अप्रैल, 1987 को या उसके पश्चात् किसी भी अंकित मूल्य का कोई पत्र खरीदा गया है, तो उसका, उसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष 6 मास की अवधि की समाप्ति पर किसी भी समय जारी किए जाने वाले डाकघर के समक्ष प्रस्तुत करके भुनाया जा सकेगा" ।

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1183 (अ) तारीख 5-11-1986 द्वारा प्रकाशित और सा. का. नि. 1252 (अ) तारीख 5-12-86 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

[फा. सं. 3/17/87 एन. एस.]

टी. आर. साहनी, निदेशक

G.S.R. 366(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indira Viksas Patra Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indira Vikas Patra (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Rule 8 of the Indira Vikas Patra Rules, 1986 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered but before the proviso, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) Where [illegible]rtificate of any denomination has been p[illegible]ased on or after the 1st April, 1987 it may be encashed at any time after the expiry of a period of five and half years from the date of issue by presenting it before the Post Office of issue".

Note : The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 1183(E) dated 5-11-86 and amended vide G.S.R. 1252(E) dated 5-12-86.

[F. No. 3/17/87-NS]
T. R. SHAHANI, Director

16 GI/87—

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987